

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 642/2015/भीलवाड़ा.

मैसर्स संगम पोल वर्क्स, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :-

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 83/वैट/13-14/भीलवाड़ा में पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये पारित आदेश दिनांक 27.09.2013 (जिसे त्रुटिपूर्ण आदेश पाये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.04.2015 को अपीलीय अधिकारी आदेश संशोधित कर उसमें कर निर्धारण आदेश की तारीख 09.07.2013 बता दी है) जो धारा 24(6) के तहत पारित किया गया था उस आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत घोषित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार किया गया था जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का वित्तीय वर्ष 2008-09 का सर्वप्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.02.2011 को पारित किया गया था जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 30.06.2011 को अपील निर्णय कर कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्ट निर्देश के साथ एवं अन्य बिन्दुओं पर पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था।
3. अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 09.07.2013 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। इसी दौरान अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2013 को खारिज कर दिया गया।

लगातार.....2

4. उक्त आदेश दिनांक 09.07.2013 के विरुद्ध पुनः अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी के इस अपील में विवादित आदेश दिनांक 29.10.2014 में यह निर्णय किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है तथा समय-सीमा में किया गया है क्योंकि प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 30.06.2011, कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 15.07.2011 को प्राप्त हुआ था जिसके दो वर्ष के भीतर दिनांक 09.07.2013 को समयावधि में पुनः आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा अपीलीय आदेश में अपीलार्थी की प्रथम अपील एवं इस अपील आधार में भी यह आपत्ति की गई थी की अपीलार्थी द्वारा जो माल अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जिसे आगे 'ए.वी.वी.एन.एल.' कहा जायेगा) को विक्रय किया गया है वह कर योग्य नहीं है क्योंकि क्रेता ए.वी.वी.एन.एल. को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत कर अनुसूची-द्वितीय में अंकित करते हुए करमुक्त व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है एवं चूंकि क्रेता व्यवसायी कर मुक्त है अतः अपीलार्थी द्वारा किया गया विक्रय करमुक्त होगा एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005/27 दिनांक 28.04.2006 जिससे ए.वी.वी.एन.एल. की खरीदी पर 4 प्रतिशत की कर देयता रखी है वह अविधिक होने से अपीलार्थी को उस विक्रय पर कर वसूल करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए उनके द्वारा ए.वी.वी.एन.एल. को किये गये विक्रय पर 4 प्रतिशत से किये गये करारोपण को यथावत रखा गया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के प्रथम आदेश दिनांक 30.06.2011 में कर निर्धारण अधिकारी को रुपये 70,16,920/- पर करारोपण किये जाने का निर्देश दिया था परन्तु वह भी तब जब कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी की बिक्री को कर योग्य मानते हैं। इन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश को दो वर्ष की अवधि में पारित नहीं किया एवं जो करारोपण किया गया है वह अविधिक है क्योंकि उनके क्रेता ए.वी.वी.एन.एल. अधिनियम की धारा 8(3) के तहत कर अनुसूची-2 में सम्मिलित किये हुए हैं।

6. विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उनका क्रेता वेट अधिनियम की अनुसूची-2 में शामिल होने से करमुक्त श्रेणी में है अतः अपीलार्थी द्वारा उन्हें जो भी विक्रय किये गये हैं वह बिना कोई कर वसूल किये ही किये गये थे। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को अस्वीकार किया गया जो अविधिक होने से अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया।



लगातार.....3

7. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन किया।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रेकॉर्ड एवं विधि का अध्ययन किया गया।
9. प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से यह विवाद प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-27 दिनांक 28.06.2014 के जरिये ए.वी.वी.एन.एल. (जो राज्य सरकार का उपक्रम है) के द्वारा क्रय किये जाने वाले माल पर 4 प्रतिशत की कर दर निर्धारित करना अविधिक है क्योंकि ए.वी.वी.एन.एल. वेट अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार एक करमुक्त व्यक्ति है क्योंकि वेट अधिनियम की कर अनुसूची-द्वितीय में उन्हें अंकित किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में 4 प्रतिशत से कर आरोपित किया जाना अविधिक बताया गया है।
10. अपीलार्थी की ओर से मेरे समक्ष प्रस्तुत इस अपील में केवल यह निर्णय किया जाना है कि क्या उक्त अपीलार्थी व्यवहारी अपने कर योग्य माल की बिक्री पर इस आधार पर करमुक्ति प्राप्त कर सकता है कि उनके खरीददार व्यक्ति कर अनुसूची द्वितीय में अंकित है अतः राज्य सरकार द्वारा उस पर 4 प्रतिशत तक कर की सीमा तक कर ही नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रकरण स्वयं एक विचित्र स्थिति पैदा कर रहा है कि क्रेता व्यवहारी को राज्य सरकार द्वारा उनकी खरीद पर 4 प्रतिशत की कर दर से ही कर देने की रियायत दी हुई है परन्तु विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिना किसी आधार के उनके क्रेता को पूर्ण करमुक्ति देने का तर्क दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा क्रेता फर्म ए.वी.वी. एन.एल. जो कि राज्य सरकार का ही उपक्रम है को उक्त अधिसूचना दिनांक 28.04.2006 से उनके द्वारा की जाने वाली खरीद पर केवल 4 प्रतिशत की दर से ही कर अदा करने के लिये रियायत दी गयी है। ए.वी.वी.एन.एल. की किसी बिक्री पर कर से कोई रियायत नहीं दी गई है एवं खरीद के लिए दी गई रियायत के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यवहारी अपने विक्रय पर 4 प्रतिशत से कर वसूल कर सकता था एवं जिसके लिये ए.वी.वी.एन.एल. द्वारा अधिसूचना में अंकित शर्त अनुसार इस आशय का प्रमाण-पत्र भी जारी करता। यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि ए.वी.वी.एन.एल. को राज्य सरकार द्वारा अनुसूची-द्वितीय में सम्मिलित किया गया है जिससे कि उस सूची में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को विशिष्ट कर दर का लाभ दिया जा सके और इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा ए.वी.वी.एन.एल. को अपनी खरीदी पर केवल 4 प्रतिशत ही कर चुकाने के लिये पात्रता दी है अर्थात् वह 4 प्रतिशत से अधिक कर दर



लगातार.....4

वाली वस्तुओं को भी केवल 4 प्रतिशत से ही कर देने के लिये दायी होंगे। अपीलार्थी को उसकी विक्रय पर करमुक्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है एवं अपीलार्थी का यह कथन भी विधि के विरुद्ध है कि राज्य सरकार को अनुसूची-2 में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों पर किसी भी तरह का कर लगाने का अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि इस अधिसूचना से ए.वी.वी.एन.एल. को विक्रय पर कर से मुक्त नहीं किया गया है बल्कि उनकी खरीद पर कर से विशिष्ट रियायत दी गयी है इससे अपीलार्थी द्वारा बिना किसी आधार के अपने विक्रय को करमुक्त बताने का प्रयास किया गया है जो पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है।

11. विधिक व्याख्या के लिये वेट अधिनियम की धारा 8 को उद्धरित किया जाता है :-

8. Exemption of tax. -

- (1) The goods specified in the Schedule-I shall be exempt from tax, subject to such conditions as may be specified therein.
- (2) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-I, prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.
- (3) The State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may exempt whether prospectively or retrospectively from tax the sale or purchase by any person or class of persons as mentioned in Schedule-II, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.
- (3A) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-II, prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.
- (4) The State Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, notify grant of exemption from payment of whole of tax payable under this Act in respect of any class of sales or purchases for the purpose of promoting the scheme of Special Economic Zones or promoting exports, subject to such conditions as may be laid down in the notification.



लगातार.....5

(5) Every notification issued under this section shall be laid, as soon as may be after it is so issued, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less than thirty days, which may comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in such notification or resolves that any such notification should not be issued, such notification thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

12. उक्त धारा 8 की उपधारा (3) में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार अनुसूची-2 में सम्मिलित व्यक्तियों के लिये उनकी खरीद अथवा बिक्री पर कर में विमुक्ति दे सकती है अर्थात् धारा 8(3) के तहत राज्य सरकार केवल उन व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों को किसी कर से विमुक्ति दे सकती है जो अनुसूची-2 में रखे गये हों अर्थात् राज्य सरकार केवल किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विशेष करमुक्ति तभी दे सकती है जब वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अनुसूची-2 में सम्मिलित किये गये हों, अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति या श्रेणियों को करमुक्ति देने से पूर्व उसे अनुसूची-2 में रखा जायेगा उसके बाद ही उनके लिये कोई विशिष्ट करमुक्ति दी जा सकती है। धारा 8(3) में दी जाने वाली मुक्ति में किसी शर्त या बिना किसी शर्त के विमुक्ति देने को भी राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार के तहत राज्य सरकार द्वारा ए.वी.वी.एन.एल. को जो कि अनुसूची-2 में रखा गया है एवं राज्य सरकार द्वारा वेट अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अधिसूचना जारी कर उनकी खरीद पर एक विशिष्ट रियायत दी गयी है। यह भी टिप्पणी की जानी आवश्यक है कि अपीलार्थी का यह कथन ही बिना किसी विधिक आधार के किया गया है कि अनुसूची-2 में सम्मिलित किये गये व्यक्ति या क्लास स्वतः ही कर से मुक्त होंगे। इस तरह उनके तर्क का मूल कथन ही आधारहीन एवं बिना किसी प्रावधान के होने से इसे खारिज किया जाता है।

13. अपीलार्थी द्वारा बेवजह और बिना किसी विधिक प्रावधान के स्वयं की बिक्री पर करमुक्ति दिये जाने की मांग की जा रही है जबकि उन्हें वेट अधिनियम की धारा 8(3) या किसी अन्य धारा के तहत या और किसी आदेश के तहत करमुक्त नहीं किया गया है। जहां तक ए.वी.वी.एन.एल. को एक विशिष्ट कर दर तक के लिये उनकी खरीदी पर रियायत दी गयी है वह ए.वी.वी.एन. एल. की खरीद के लिये लागू होती है जिसका अपीलार्थी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

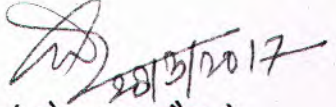


14. फलतः आधारहीन तर्क से करमुक्ति दिये जाने की मांग खारिज की जाती है एवं अपीलार्थी के माल का विक्रय कर योग्य होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

15. अपीलार्थी का इस बिन्दु पर किया गया कथन कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा किया गया आदेश अवधिपार था वह तथ्यों से परे है क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से यह अंकित किया है कि आदेश दिनांक 09.07.2013 को पारित हो गया था जो दो वर्ष के भीतर है तथा उन्हें सुनवाई के समुचित अवसर भी प्रदान किये गये थे अतः इस बिन्दु पर भी अपील अस्वीकार की जाती है।

16. उक्त विवेचन के मददेनजर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य